दूरभाष/Telephone: 011-26172668
फैक्स/FAX : 011-26105549

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' Provident Fund Organisation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. Of India)
मुख्य कार्यालय/ Head Office
भविष्य निधि भवन, 14-भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14-Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066
Website: www.epfindia.gov.in

सं. आई. डब्लयू.यू./7(5) 2008/स्विट्जरलैंड/ 254 551 **दिनांक 4 अप्रैल, 2011** 03 APR 2011

सेंवा में,

सभी अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल)
सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय एवं उप क्षेत्रीय कार्यालय।

विषय - स्विस परिसंघ के साथ दिनांक 29 जनवरी, 2011 को सामाजिक सुरक्षा समझौते के कार्यान्वयन-के संबंध में ।

महोदय,

स्विस परिसंघ के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौते (एस॰एस॰ए) पर हस्ताक्षर किए जाने के अनुसरण में भारत सरकार ने उपर्युक्त समझौते के 29 जनवरी, 2011 से लागू होने के संबंध में आदेश संख्या ओ.आई-11012/17/2007-ई पी-II दिनांक 23 मार्च,2011 को अधिसूचित कर दिया है। समझौते की स्केन की गई प्रति केन्द्रीय भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2. साथ ही, यह समझौता तैनाती के लिए अर्थात् दोनों देशों के कर्मचारियों के लिए 72 माह तक की अवधि के लिए वियोजन भी उपलब्ध कराता है; अतः कार्यान्वयन प्रक्रिया में "कवरेज का प्रमाणपत्र"(सी. ओ. सी.) का मामला भी शामिल है। तदनुसार, अंतर्राष्ट्रीय कामगार यूनिट (आइ. डब्लयू. यू.), मुख्यालय, नई दिल्ली को सी. ओ. सी. के लिए आवेदन भेजते समय निम्नलिखित अनुदेशों को ध्यान में रखा जाए:-

i) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवर्ड स्थापना के कर्मचारियो एवं नियोक्ता, दोनों के द्वारा निर्धारित फॅारमेट (प्रतिलिपि संलग्न) में आवेदन भेजा जाए।

ii) आवेदन प्रपत्र के साथ आवेदक के पासपोर्ट की सत्यापित प्रति लगाई जाए जिसमें उसके नाम, जन्म तिथि, पता एवं पासपोर्ट का अन्य विवरण जैसे नंबर, जारी किए जाने की तिथि, वैधता आदि का भी उल्लेख किया जाए। यदि आवेदन प्रपत्र में दिया गया पता पासपोर्ट में उल्लिखित पते से मेल न खाता हो तो इसे नियोक्ता द्वारा प्रमाणित किया जाए।

iii) प्रत्येक आवेदन में दिए गए विवरण की सत्यता की जांच क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा सही प्रकार से की जाए।

iv) "कवरेज का प्रमाणपत्र" जारी करवाने के लिए सभी प्रकार से पूरे किए गए आवेदन (आवेदनों) को उसी दिन आई.डब्लयू. यू, मुख्यालय, नई दिल्ली को स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाए।

v) मुख्यालय से कवरेज प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् कर्मचारी के खाते को "आई डब्ल यू खाते" के रूप में चिन्हित किया जाए तथा प्रमाण पत्र (पत्रों) को नियोक्ता को दे दिया जाए।

vi) आई. डब्ल्यू. यू. खातों के नियमित अनुपालन को भी साथ-साथ मॉनीटर किया जाए।

3. यदि किसी अन्य स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो, आई. डब्लूय. यू, मुख्यालय से संपर्क किया जाए।

(इसे केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।)

भवदीया

(उदिता चौधरी)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त -I (आई डब्लयू यू)

प्रतिलिपि:-

निदेशक, नाटरस

सभी अधिकारी, मुख्यालय

सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान/आंचलिक लेखा परिक्षा कार्यालय/उप निदेशक (सतर्कता)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एन डी सी) को इस परिपत्र को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(एस सी शर्मा)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II (आई डब्लयू यू)